

बाप पं. स. के कनिष्ठ सहायक के घर पर 1.60 करोड़ का सोना और 75 लाख की नगदी मिली

बीकानेर में एसीबी ने शुक्रवार सुबह कनिष्ठ सहायक शुभकरण परिहार के पांच ठिकानों पर छापा मारा था

बीकानेर, (निर्स)। बीकानेर में एसीबी की रेड में कनिष्ठ सहायक (जूनियर असिस्टेंट) के घर से करीब 1 करोड़ 60 लाख का सोना, करीब पांच लाख रुपए की चांदी और 75 लाख से ज्यादा का कैश भी मिला है। एसीबी ने शुक्रवार सुबह कनिष्ठ सहायक शुभकरण परिहार के पांच ठिकानों पर छापा मारा। शुभकरण परिहार ने घर में ही नोटों की गड्डियां छुपा कर रखी थीं, जिन्हें गिनने के लिए काउंटिंग मशीन मंगानी पड़ी। बीकानेर के पूनरासर में रहने वाला शुभकरण फलोदी की बाप पंचायत समिति के कानासर ग्राम पंचायत में कनिष्ठ सहायक पद पर तैनात है।

एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि कुछ दिनों पहले शुभकरण परिहार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत दर्ज हुई थी। इसके बाद मामले की जांच की। 11 फरवरी को शुभकरण के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया। डीआईजी भुवन भूषण यादव, एएसपी विनोद कुमार और आशीष



एसीबी ने जूनियर असिस्टेंट शुभकरण परिहार के घर से लाखों की नगदी व जेवरात बरामद किये।

कुमार रघुवंशी के नेतृत्व में 5 टीमें बनाई गई। शुक्रवार सुबह बीकानेर शहर के जयनारायण व्यास कॉलोनी, वैशाली धाम के सामने मातेश्वरी एन्क्लेव, जयपुर रोड और बागीनाड़ा स्थित छीपों

का मोहल्ला रानी बाजार और पूनरासर गांव में शुभकरण के ठिकानों पर रेड डाली। डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि शुभकरण के बीकानेर में तीन और गांव पूनरासर में एक आलीशान मकान है।

दोपहर 1 बजे तक हुई कार्रवाई में 75 लाख से ज्यादा का कैश, 1 किलो से ज्यादा गोल्ड और 2 किलो से ज्यादा चांदी मिली है। इसके साथ ही 17 हेक्टेयर एग्रीकल्चर जमीन भी

- शुभकरण परिहार ने घर में ही नोटों की गड्डियां छुपा कर रखी थी, जिन्हें गिनने के लिए काउंटिंग मशीन मंगानी पड़ी
- कुछ दिनों पहले कनिष्ठ सहायक शुभकरण परिहार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत दर्ज हुई थी : एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता
- अब तक जांच में आय से 938 प्रतिशत से अधिक संपत्ति शामिल करने का रिकॉर्ड मिल चुका है, पांचों ठिकानों पर सर्च जारी

शुभकरण के नाम सामने आई है। उन्होंने बताया कि अब तक जांच में आय से 938 प्रतिशत से अधिक संपत्ति शामिल करने का रिकॉर्ड मिल चुका है।एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक सीता श्रीवास्तव के सुपरविजन में पांचों ठिकानों पर सर्च चल रहा है। इसमें और भी प्रॉपर्टी व सामान मिलने की संभावना है। शुभकरण बीकानेर शहर के वैशाली धाम के सामने मातेश्वरी एन्क्लेव में रहता है। एसीबी टीम को यहां 75 लाख रुपए

कैश और सोने-चांदी के जेवरात मिले। वहीं बागीनाड़ा स्थित छीपों के मोहल्ले में बने मकान में से भी सोना-चांदी और प्रॉपर्टी के कागज मिले हैं। टीम ने जब मातेश्वरी एन्क्लेव में सर्च किया तो यहां 500, 200 और 100-100 रुपए के नोटों की गड्डियां मिलीं। इन्हें अलमारी से निकाल बिस्तर पर रखा गया। नोट इतने थे कि इन्हें गिनने के लिए मशीन और रखने के लिए कार्टन मंगवाना पड़ा। काउंटिंग के बाद नोटों की गड्डियों को कार्टन में पैक कर रखा गया।

अस्पताल में मरीज की मौत, परिजनों का हंगामा

अजमेर, (निर्स)। संभाग के सबसे बड़े राजकीय जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा टीम पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि समय पर सही उपचार नहीं मिलने और इलाज में अनावश्यक देरी के कारण उनके बेटे गजेन्द्र सिंह की जान चली गई। हंगामे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजन व चिकित्सकों से समझाइश करके मामला शांत करवाया।

- अजमेर जेएलएन अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा टीम पर लापरवाही के आरोप लगे
- पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजन व चिकित्सकों से समझाइश कर मामले को शांत करवाया

शादी समारोह से काम खत्म कर घर लौटे चार श्रमिकों की संदिग्ध मौत



भीलवाड़ा के माधोपुरा गांव के मृतक चारों श्रमिकों की फाईल फोटो।

■ बताया जा रहा है कि चारों श्रमिकों ने बर्तन साफ करने वाले घातक रासायनिक लिक्विड को शराब समझकर पी लिया था

वाल केमिकल (लिक्विड) अपने साथ घर ले आए। पुलिस का प्राथमिक अनुमान है कि उन्होंने इसे शराब समझकर सेवन कर लिया। देर रात तबीयत बिगड़ने पर तीन लोगों ने गंगापुर अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि बदामी देवी की मौत भीलवाड़ा के महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान हुई।

सामूहिक मौत की खबर फैलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही जिला कलैक्टर जसमीत सिंह सिंधु और पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र यादव जाबते के

समारोहों में हलवाई या कैटरिंग की पर्ची पर बेचा जाता है। मैथेनॉल फ्यूल गुजरत के अंकलेस्वर से दो सौ लीटर के ड्रम में मंगाया जाता है, जिसको एक एक लीटर की बोतल में दुकानदार द्वारा बेचा जाता है। फ्यूल गुजरत से बिल के माध्यम से ही खरीदा जाता है। मृतकों में रतन कंजर निवासी माधोपुरा, सुशीला देवी श्रमिक, जमनी देवी पत्नी शंकर कंजर बदामी देवी की उपचार के दौरान भीलवाड़ा में मौत हो गई।

एसपी धर्मेन्द्र सिंह का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला बर्तन धोने के केमिकल को गलती से शराब समझकर पीने का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया

भुसावर/भरतपुर, (निर्स)। एचडीएफसी बैंक से लोन दिलवाने के नाम धोखाधड़ी करने वाले नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रोहित पुत्र चन्द्रप्रकाश पंजाबी, निवासी मूर्ति कॉलोनी, थाना एनबी जिला अलवर को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार कस्बा भुसावर निवासी अजय कुमार पुत्र निरोत्तमलाल ने 11 जून 2025 को

- एचडीएफसी बैंक से लोन दिलवाने के नाम पर आरोपी ने लाखों रुपये की धोखाधड़ी की थी

थाना भुसावर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 7 मई 2025 को एचडीएफसी बैंक एजेंट रोहित ने 20 लाख रुपये का लोन दिलाने के

लिए आवेदन करवाया था। आरोप है कि लोन स्वीकृत होने के बाद एजेंट रोहित ने धोखाधड़ी करते हुए 20 लाख रुपये में से 10 लाख रुपये अपने खाले में ट्रांसफर कर लिए। मामले में थाना भुसावर पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। अनुसंधान के दौरान थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा मामले में आगे की जांच जारी है।

एफ.एस.एल. रिपोर्ट भी साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के मामले को नहीं सुलझा पाई

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला अब भी नहीं सुलझ पाया है। इस मामले में पुलिस को एफएसएल रिपोर्ट में कुछ खुलाने की उम्मीद थी। मामले में एफएसएल रिपोर्ट आई तो पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। रिपोर्ट में साध्वी को जहर देने या दूसरे अप्राकृतिक कारणों से मौत होने की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही उनके साथ किसी तरह की गलत घटना के सबूत भी नहीं मिले हैं।

जानकारी के अनुसार एफएसएल रिपोर्ट गुरुवार रात को जोधपुर पुलिस कमिश्नर को मिली। इसके बाद डीसीपी वेस्ट विनीत कुमार बंसल के जरिए मेडिकल बोर्ड को भेजी गई है। अब पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर रिपोर्ट का एनालिसिस कर मौत के कारणों का खुलासा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक एफएसएल जांच में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को लेकर लगाई जा रही अटकलें बेदम साबित हुई हैं। उनके साथ किसी तरह की गलत घटना के सबूत भी रिपोर्ट में नहीं मिले हैं। स्पेशल इन्वीस्टिगेशन टीम साध्वी की मौत को

- रिपोर्ट में साध्वी को जहर देने या दूसरे अप्राकृतिक कारणों से मौत होने की पुष्टि नहीं हुई, साथ ही उनके साथ किसी तरह की गलत घटना के सबूत भी नहीं मिले हैं
- अब पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर रिपोर्ट का एनालिसिस कर साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के कारणों का खुलासा करेंगे

लेकर कई एंगल से जांच कर रही है। गौरतलब है कि साध्वी के बीमार होने के बाद उन्हें प्रेक्षा हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया था। पुलिस टीम ने प्रेक्षा हॉस्पिटल के मालिक, डॉक्टर और अन्य स्टाफ से भी पूछताछ की थी। इसमें डॉक्टर ने बताया था कि साध्वी हॉस्पिटल में कुछ महीने पहले खांसी-जुकाम की दवा लेने आई थी। जांच में टीम को साध्वी प्रेम बाईसा को अस्थमा की बीमारी होने का भी पता लगा है। जोधपुर शहर के बोराना रोड के आरती नगर स्थित आश्रम में 28 जनवरी को साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें जुकाम हो गया था। उन्हें सांस

लेने में परेशानी होने लगी थी। इलाज के लिए कंपाउंडर देवीलाल सिंह को बुलाया गया था। कंपाउंडर देवीसिंह ने दो इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद उनकी तबीयत अचानक और ज्यादा बिगड़ गई। परिजन उन्हें लेकर पाल रोड स्थित प्रेक्षा हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। साध्वी के पिता वीरमनाथ शव को आरती नगर स्थित आश्रम ले आए। पुलिस की दखल के बाद 29 जनवरी के दरेश मगर एमजीएच हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। 30 जनवरी को बाड़मेर के परेऊ गांव में साध्वी प्रेम बाईसा को समाधि दी गई। 31 जनवरी

और 1 फरवरी को शनिवार-रविवार का अवकाश था। ऐसे में 2 फरवरी को विसरा सैपल जांच के लिए भेजे गए थे। 11 दिन में एफएसएल जांच पूरी हुई। इसके बाद रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई।

पुलिस ने इस मामले की गहन जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित की थी। जिसने अब तक 48 लोगों से पूछताछ की, 500 से अधिक पेज के पूछताछ नोट तैयार किए। एसआईटी ने 40 से ज्यादा मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकाले। राज्य की एफएसएल ने विसरा जांच रिपोर्ट 11 दिन बाद सौंपी, जिसमें किसी भी प्रकार के जहर या विषाक्त पदार्थ की पुष्टि नहीं हुई। अप्राकृतिक कारणों के स्पष्ट संकेत भी नहीं मिले हैं। अब अंतिम मौत का कारण तय करने का जिम्मा मेडिकल बोर्ड पर है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद जांच की दिशा और साफ हो सकेगी। एसआईटी ने मामले की हर बारीकी खंगाली। आश्रम से 35 से अधिक सैपल जुटाए गए, जिनमें डीएनए, फिंगरप्रिंट और अन्य फॉरेंसिक सबूत शामिल हैं। पुलिस ने अस्पताल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया

एक्टिविटी की भी जांच की। शुरुआत में मौत को दवा के एलर्जिक रिएक्शन या लापरवाही से जोड़ा गया, लेकिन सुसाइड नोट पोस्ट होने से साजिश के सवाल उठे। साध्वी प्रेम बाईसा पिछले साल जुलाई में एक वायरल वीडियो के कारण ब्लैकमेल और मानसिक उत्पीड़न का शिकार हुई थी। उस मामले में आरोपी गिरफ्तार हुआ था, लेकिन वीडियो दोबारा वायरल होने से उन्हें परेशानी हुई। कुछ लोग इसे मौत से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी साजिश को पुष्टि नहीं की।

साध्वी को डेक्सोनो व डायनापार इंजेक्शन लगाए गए थे। कंपाउंडर देवी सिंह ने पुलिस को दिए बयान के हवाले देते इंजेक्शन साध्वी से मिली पर्ची के आधार पर लगाने की जानकारी दी, जबकि पाल रोड स्थित प्रेक्षा अस्पताल के डॉक्टर ने पिछले काफी समय से साध्वी की जांच करने तक से इनकार किया था। ऐसे में अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इंजेक्शन देने वाले लिखे थे? जिसके आधार पर लगाए गए, इसका जवाब एसआईटी की ढूँढना होगा।

दिया गया। वहीं राज, भौतिक और नीलम को घायलवास्था में एंबुलेंस 108 की सहायता से मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बांलेसर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया और यातायात सुचारु करवाया।

- एसपी ने गुमशुदा 70 मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए

ने गुमशुदा 70 मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए। मोबाइल फोन मोबाइल धारकों के चेहरे पर रौनक आ गई। एसपी राजेन्द्र कुमार ने बताया कि महानिदेशक पुलिस सायबर क्राइम द्वारा चलाये जा रहे विशेष सायर अभियान के दौरान जिले के सभी पुलिस थानों द्वारा गुमशुदा हुये 70 मोबाइल फोन ट्रेस कर बरामद कर वास्तविक मोबाइल धारकों को वापस लौटाये गये हैं। बरामद किये गये मोबाइल फोन की कीमत लगभग 15 लाख रुपये है। पुलिस टीमों द्वारा कई दिनों तक तकनीकी विश्लेषण कर सीईआईआर पोर्टल से ट्रेस हुये गुमशुदा मोबाइलों में से कुल 70 मोबाइल बरामद करने में सफलता प्राप्त की।

दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास

भीलवाड़ा, (निर्स)। जिले के फुलिया कला थाना क्षेत्र के ञ्क गांव में वर्ष 2019 में हुई दुष्कर्म की घटना में न्यायालय ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, भीलवाड़ा ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी हेमराज पुत्र लादुलाल बैरवा को विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए दंडित किया।

प्रकरण के अनुसार 19 दिसम्बर 2019 को पीड़िता बकरियां चराने गई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता के पति ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव किया, जिसके बाद आरोपी धक्का-मुक्की कर वहां से फरार हो गया। बाद में पीड़िता को लेकर परिवारी थाने पहुंचा और लिखित रिपोर्ट दी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। अनुसंधान अधिकारी द्वारा

पीड़िता के बयान, मेडिकल जांच, घटनास्थल निरीक्षण, जन्मी कार्यवाही तथा धारा 164 के तहत बयान सहित आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसका भी मेडिकल कराया गया तथा उसके पहने कपड़े जब्त कर एफएसएल जांच हेतु जयपुर भेजे गए। जांच पूर्ण होने पर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक अदिति सेठिया द्वारा न्यायालय में 13 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गए। साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सात वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 341 में एक माह का कारावास व 500 रुपये जुर्माना तथा धारा 323 में 6 माह का साधारण कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

नवजात बच्ची का शव मिला

जोधपुर, (कासं)। शहर के निकट जोजरी नदी के पुल के नीचे कुड़ी गांव में नवजात बच्ची का शव मिला। किसी ने शव को गड्ढा खोद कर डाल दिया। ऊपर से कचरा डाल दिया। बाद में शवनों ने गड्ढा खोदकर बच्ची के शव को बाहर निकाल दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर उम्मेद अस्पताल की इमरजेंसी में भिजवाया, मगर चिकित्सक ने उसे मृत बता दिया। घटनास्थल पर एफएसएल को बुलाया गया। पुलिस अब जांच में जुटी है।

विवेक विहार थानाधिकारी दिलीप खदाव ने बताया कि जोजरी नदी पुल के नीचे कुड़ी गांव की सरहद में एक गड्ढे के बाहर शव पड़ा होने की जानकारी मिली। इस पर पुलिस वहां पहुंची। शव किसी नवजात बच्ची का था, जोकि एक दो दिन पुराना प्रतीत हो रहा था। हालांकि उसे बरामद कर उम्मेद अस्पताल की इमरजेंसी भिजवाया गया, मगर डॉक्टर ने उसे मृत बता दिया। शव को बाद में एमजीएच की मोर्चरी में रखवाया गया।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD
ELECTRICAL DIVISION KOTA

No. 924
Notice Inviting Bid
(NIT NO. 30/2025-26)

Date: 05.02.2026

Bids for 02 No work at District Bundi are invited from interested bidders up to 06.00 PM of 19.02.2026 (Thursday) Other particulars of bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajjasthan.gov.in, http://sppp.rj.nic.in) of the rajasthan State. The approximate value of the procurement is Rs. 208.78 Lac.

UBN 1. PWD2526WSOB22551, 2. PWD2526WSOB22552

Executive Engineer
PWD Elect. Div.Kota

DIPR/C/2792/2026

कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली (राज.)
(फ़ाइल की चौकी करौली, Phone & Fax No. 07464-297003, Email-dcf.kroli.forest@rajasthan.gov.in)

ई-निविदा सूचना संख्या 10 व 11

इस कार्यालय अधीन रेंज मासलपुर में WHS एवं अग्रिम मृदा कार्य की साईटों पर कैटल गाई हट निमार्ण कार्य कराये जाने हेतु ई-निविदाई आमंत्रित की गई है। अतः इच्छुक फर्म http://sppp.rajjasthan.gov.in पर देख कर निविदाओं में बोली लगा सकते हैं।

क्र.सं.	यू बी एन नम्बर	लगत लाखों में	जारी दिनांक	जमा व खोलने की दिनांक
1	UBN No FOR2526 WSOB050289	7.53	04.02.2026	16.02.2026
2	UBN No FOR2526 WSOB05374	12.62	05.02.2026	16.02.2026

DIPR/C/2826/2026 (सुमित बंसल) उप वन संरक्षक करौली

कार्यालय अधिशाषी अभियंता,
जन स्वा.अभि.विभाग, खण्ड कोलायत

क्रमांक-3378-91

दिनांक-06.02.2026

Notice Inviting Bid :- 100-106/2025-26

Bid for various works are invited to registered interested bidder upto 20.02.2026 at 14.00 hours. Other particulars of bid may be visited on the procurement portal www.sppp.rajjasthan.nic.in & 'http://eproc.rajjasthan.gov.in' of the state. The approximate value of the procurement of Rs. 378.14 lacs.

NIT No.	100	101	102	103
UBN No.	PHE2526 WSOB13679	PHE2526 WSOB13681	PHE2526 WSOB13682	PHE2526 WSOB13684
NIT No.	104	105	106	
UBN No.	PHE2526 WSOB13685	PHE2526 WSOB13686	PHE2526 WSOB13687	

जल सीमित है, इसकी बचत करें। (यशोवन्त कुमार) अधिशाषी अभियंता जन स्वा.अभि.विभाग खण्ड कोलायत

DIPR/C/2817/2026

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PHED DIVISION KARAULI

PH NO. 07464-250219

E-Mail-ee.kar.phed@rajasthan.gov.in

Notice Inviting Bid

Bids for transportation of water through tanker under Division Karauli are invited from interested bidders up to 18.02.2026 Other Particulars of the bid may be visited on the procurement portal eproc. rajasthan.gov.in and sppp.raj.nic.in website.

NIB CODE: PHE2526A6087

S.N.	NIT NO	UBN	S.N.	NIT NO	UBN
1	158/2025-26	PHE2526WSOB13018	4	161/2025-26	PHE2526WSOB13021
2	159/2025-26	PHE2526WSOB13019	5	162/2025-26	PHE2526WSOB13022
3	160/2025-26	PHE2526WSOB13020	6	163/2025-26	PHE2526WSOB13023
			7	164/2025-26	PHE2526WSOB13024

01	Total work	07
02	Total Estimate Cost	190.00 Lac
03	Bid submission end date	18.02.2026 up to 04.00 PM
04	Bid opening date	19.02.2026 at 04.00 PM

(Vijay Kumar Meena)
Executive Engineer
PHED Division Karauli

DIPR/C/2564/2026

कार्यालय उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (द्वितीय) रायचम्पौर टाईगर रिजर्व करौली

Mail ID-dcfb.kroli.forest@rajasthan.gov.in Phone No. 07464-294200

इस कार्यालय द्वारा जारी ई-निविदा आमंत्रित की गई है। अतः इच्छुक कर्मीधारा पोर्टल www.sppp.rajjasthan.gov.in पर देख कर अनिवार्य निविदाओं को डाउनलोड कर निविदाओं में भाग ले सकते हैं।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	UBN NO.	अनुमानित लागत (लाखों में)	निविदा जारी करने की दिनांक	निविदा जमा कराने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक
1	डिवीजन कैम्पस में स्थित उप वन संरक्षक आवास परम्पत एवं उपग्रहोन्नत कार्य हेतु	FOR2526 WSOB05265	20.00	03.02.2026	13.02.2026	13.02.2026
2	रेज मैनीयाजी के अर्नाल तिरहुटी वनरक्षक चौकी सुरक्षा दीवार 200 रैनी गीटर पक्की बाड़ुकी निर्माण कार्य हेतु	FOR2526 WSOB05268	6.00	03.02.2026	13.02.2026	13.02.2026

(वीरज कुमार शर्मा)
उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (द्वितीय) रायचम्पौर टाईगर रिजर्व, करौली

DIPR/C/2549/2026

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

राजकीय जनना चिकित्सालय परिसर, मेरी चार बाग-भरतपुर-321 001 (राज.)

eemhbharatpur@gmail.com, ee-mh-bharatpur@gov.in, Mob. 9602097030

क्रमांक- /MS&H-2025-26/1942

दिनांक-05.02.2026

निविदा सूचना संख्या-27/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय जी और से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्य जिला भरतपुर/डीग/करोली मे कर 179.50 लाख के निमाण कार्य हेतु राजस्थान सरकार के सम्मक्ष उपरक्त श्रेणी मे सर्वजनिक निमाण विभाग एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निमाण विभाग/एल एवं दूर संचार विभाग/रैलवे इत्यादि मे स्थित करणी हेतु पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपरक्त श्रेणी के संवेदकों के सम्मक्ष हो से निपटिरा प्रत्र मे ई-प्रोक्यूरमेंट निविद्ये आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बंधित विवरण DIPR की वेबसाईट, www.dipronline.Org, http://eproc.rajjasthan.gov.in व विभागीय वेब साईट http://rajswasthya.nic.in पर देखा जा सकता है।

	अनुमानित लागत (रु.लाखों में)	UBN NO.		अनुमानित लागत (रु.लाखों में)	UBN NO
1	Construction of SHC Malpur distt. Bharatpur	UBN IS: MH45266 WS08 06402	2	Construction of of SHC Bara Raipur distt.	UBN IS: MH45266 WS0806403
3	Construction of SHC Naand distt. Karauli	UBN IS: MH45266 WS08 06405	4	Construction of E.T.P at DH Hindran distt. Karauli	UBN IS: MH45266 WS0806406

(एस.के. अग्रवाल)
अधिशाषी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, भरतपुर

DIPR/C/2992/2026